था उस से ज्यादा वह अनअथराइज्ड तौर पर गये हैं । जो ऐसे लोग हैं उन की ही तनख्वाह काटी गयी है और मैं यह भी आप के जरिये कहना चाहूंगा कि जब हम टीचर्स के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो उस के साथ-साथ यह भी उन को याद दिलाना चाहते हैं कि हमारा असली काम जो है वह बच्चों को पढ़ाना है और उन के इंटरेस्ट को नम्बर एक पर रखना है ।

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA; What about a uniform policy on transfer? That is the main question. Have they accepted this demand or not? I simply cited an example.

श्री० पी० के० थुंगन : इस के बारे में बता चुका हूं कि उन की डिमांड में से वह एक डिमांड थी, लेकिन ट्रांसफर के लिये जो एक रैशनल पालिसी है वह आलरेडी हमारे डिपार्टमेंट में है, इस संगठन में है और इस लिये उन के साथ बातचीत भी हुई थी । वह लोग मेरे खुद के पास आये थे, और बातचीत की थी और बातचीत के बाद हमने यह भी कंसीडर किया था कि कहां तक उनके सुझाव माने जा सकते हैं और कहां तक नहीं माने जा सकते हैं ।

*462. *[The questioner {Shri M. Kalyansundaram) was* absent. For *answer* .vide cols. 32—34 infra]

*463. *[The questioner (Shri Rame*-shtoar *Singh)* was absent. *For* answer vide cols. 32—34 infra]

**Draft Protocol sent to Pakistan**

*464. SHRI HARVENDRA SINGH HANSPAL: f SHRI DHULESHWAR MEENAr

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether India has sent to Pakistan the draft protocol on reciprocal exchange of information, consulai access and modalities for the release and repatriation of nationals of either country detained in the other;

(b) if so, what are the broad out lines thereof;

(c) what is Pakistan Government's reaction thereto; and

(d) by When the exchange of dt tainees is likely to take place particularly the Indian Defence personnel in the custody of Pakistan who are languishing in their jails?

tThe question was actually asked on the floor of the House by Shri Harvendra. Singh Hanepal.

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA-RAO): (a) Yes Sir.

(b) The draft provides for exchange of information on and consular access to nationals of one country detained, arrested or imprisoned in the other.

(c) Pakistan Government's reactions to our draft are still awaited.

(d) Government of India have repeatedly taken -up with the Government of Pakistan the issue of the release and repatriation of Indian nationals detained in Pakistan. The process is likely to be expedited by the exchange of information on and consular access to the detenus/priseners as suggested in our draft protocol. Special efforts are being made for release and repatriation of Defence personnel. A fresh sett of photographs and personal particulars have been forwarded to the Pakistan authorities who have agreed to make efforts to locate the Defends personnel.

श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल : मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया सभी डिफेंस पर्सोनल के लिये, वह तो ठीक है लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले करीब 10 या 8 आदमी, प्रिजिनर, वहां से वापस लाये गये थे और उन की मेंटल कंडीशन बहुत अपसेट थी या वे मेंटली डिरेन्जड मालूम होते थे । तो ऐसा

मालूम होता है कि उन को वहां बहुत मालट्रीटमेंट दिया जाता है या टार्चर किया जाता है । इसके लिये इस ड्राफ्ट प्रोटोकोल में क्या प्रोविजन है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यह जो दस कैदी रिहा हो कर आये थे उन के बारे में सूचना यह है कि उन में से 6 तो अभी दवाखाने में हैं, एक लापता है, मतलब खुद ही चला गया या चली गयी है और बाकी 3 अपने-अपने घरों में पहुंच गये हैं, अपने गांव पहुंच गये हैं, यानी जो उन के रिश्तेदार हैं उन के यहां पहुंचा दिये गये हैं । अब सवाल यह है कि इस का क्या किया जाये । यह तो कौंसिलर एक्सेस जब होगी, जब इस पर दोनों सरकारें एकमत हो जायेंगी तो उस के बाद हो इस के बारे में सोचा जा सकता है कि अगर कोई बीमार हो तो उस के लिये क्या किया जाये और जो तय होगा वहीं रिसिप्रोकेट होगा ।

**श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल** : प्रोटोकोल में उसका कुछ इशारा है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : प्रोटोकोल में यह इशारा इस तरह से नहीं होता । जब ऐक्सैस हो जाता है तो वह हमारी एंम्बेसी को लिख सकते हैं, हमारे कौंसिल जनरल को लिख सकते हैं और वह इसका इंतजाम कर सकते हैं इसके बाद इस बारे में सोचा जा सकता है।

**श्री हरवेन्द्र सिंह हंसपाल** : इसमें सवाल यह पैदा होता है कि एक डैफनिट चीज हमारे पास आई, जैसे आपने बताया कि 6 तो अस्पताल में हैं और जब डाक्टर्स सर्टिफाइ कर दें कि उनके माइंड ठीक नहीं हैं, वह नार्मल नहीं हैं तो उसके लिए तो टैक-अप किया ही जा सकता है ।

इसके अलावा दूसरी बात मैं जानना चाहता हूं कि जो लोग पिछले साल यहां से हवाई जहाज हाई जैक करके पाकिस्तान ले गये थे, क्या वे भी डिटेन्ड प्रिजनर्स की कैटेगरी में आते हैं या गवर्नमेंट उनके लिए स्पैशल ऐफर्टस कर रही है कि उनको वापस लाया जाए ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : श्रीमन्, हमने मांग की है कि उनको लौटाया जाए । उनको वहां गिरफ्तार किया गया है । हम से कहा जा रहा है कि उन पर मुकदमा चलाया जाएगा । हम उनकी वापसी का मतालबा अभी भी कर रहे हैं ।

**श्री धूलेश्वर मीणा** : सभापति जी, यह मसला बहुत अहम मसला है । बार-बार इस हाउस में भी और लोक सभा में भी इस बात पर प्रश्न उठाये गये । मैं मंत्री महोदय का ध्यान उस ओर ले जाना चाहता हूं खासकर कि जितने डिफेंस पर्सनेल हैं, या सिविलियन हैं उनमें खासकर मेरी स्टेट के जो ट्रायबल मिलिटरी में ज्यादा भरती होते हैं वे पिछले इंडो-पाक वार में पकड़े गये थे । उनमें से कुछ लोगों का ही पता लगा था कि वह अभी भी पाकिस्तान की जेलों में हैं । मैंने माननीया प्रधान मंत्री को भी लिखा था जो लैटर आपके पास भेजा गया । उसके बाद मुझे जवाब मिला कि इस प्रकार के कोई भी लोग पाकिस्तान में कैद नहीं हैं । लेकिन श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमें कम से कम बता दिया जाए कि क्या वे पर्सनेल अभी भी पाकिस्तान की जेलों में जिन्दा हैं या नहीं क्योंकि आज तक उनके परिवार के पास इस प्रकार की कोई इतिला नहीं है, उनका सारा परिवार बरबाद हो गया है बच्चे कहां चले गये, उनकी औरतें कहां

चली गई हैं । इसलिए एक तो यह बतायें कि क्या आपके पास ऐसी लिस्ट है जिनमें ये प्रिजनर्स हैं या नहीं ? दूसरे, अगर हैं तो आपने इस प्रोटोकाल में क्या कोई शर्त रखी है कि कब तक वह वापस इंडिया को रिलीज कर देंगे ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : श्रीमन्, इसके बारे में कई बार कहा गया है...

**श्री रूपापति** : पहले 40 का जिक्र था ।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : 40 का जिक्र था, उनके बारे में कई बार हमारी वार्ता हुई । हमने कहा है कि हमारी इत्तिला के अनुसार वह जीवित हैं क्योंकि हमारे पास लापता कैटेगरी में वह आते हैं । इसलिए हम अभी भी मानते हैं कि वह अभी भी जीवित हैं । उन्होंने कहा कि हमने काफी इनकी तलाश की है, इनका पता हमें नहीं चल पाया है । इसलिए हम लाचार हैं । इसके बावजूद हम उनसे कहते जा रहे हैं कि आप फिर से तलाश कीजिए । फिर उनको इन लोगों की तस्वीरें दी गई और उनके बारे में सारे पर्टिकुलर्स दिये गये । वह फिर भी कहते जा रहे हैं कि हम तलाश करेंगे लेकिन साथ-साथ यह भी कहते हैं कि जहां तक हमने तलाश की है, उनका हमें पता नहीं चला है । यह स्थिति आज है ।

श्री धूलेश्वर मीणा : श्रीमन्, नामों की लिस्ट आप नहीं बता सकेंगे ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : लिस्ट है, 40 नाम हमारे पास लिस्ट में हैं ।

**श्री रूपापति** : पहले ही बता दिये गये हैं ।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : वह लापता हैं, हमारी सूचना के अनुसार लापता हैं । पाकिस्तान सरकार का कहना है कि उनके पास वह नहीं है । फिर हमने कहा कि पता कीजिए और तलाश कीजिए । उन्होंने माना और फिर भी कहते जा रहे हैं कि जहां तक तलाश की है, उन्हें अभी भी पता नहीं चल पाया है ।

**श्री सुखदेव प्रसाद** : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो 10 प्रिजनर रिलीज होकर आये हैं, जिनकी मेंटल कंडीशन पूरे मुल्क ने देखी और आपने भी देखी । क्या सरकार के पास कोई इस तरह का प्रावधान है कि बाकी जो प्रिजनर्स हैं उनकी भी जांच कर सकेंगे कि वे किस हालत में हैं और क्या उनको भी इस तरह का मेंटल टार्चर दिया जा रहा है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में क्या काइटेरिया दोनों मुल्कों के अन्दर है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : यही प्रश्न है और शायद यही जवाब भी दिया गया है कि अगर प्रोटोकोल होगा तो इन बातों में हम जा सकेंगे, उनकी छानबीन कर सकेंगे, पूछताछ कर सकेंगे । लेकिन तब तक हमारी लाचारी है ।

डा० भाई महावीर : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान सरकार लगातार इंकार करती रही है और यह कहती रही है कि उनके पास कोई भारतीय कैदी नहीं है तो ये जो 10 कैदी छूटकर आए हैं, इनके बारे में उन्होंने कब स्वीकार किया कि ये उनकी कैद में हैं ? अगर उन्होंने पहले से ही यह कहना जारी रखा कि उनके पास कोई कैदी नहीं हैं तो ये 10 कैदी कब डिसकवर हुए, कब उनका पता लगा

ग्रौर कब उनके भेजने के बारे में बातचीत हुई, कब उन्होंने इनको भेजने के बारे में रजामन्दी जाहिर की ? क्या मंत्री जी इस बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे ? ग्राम धारणा यह है कि पाकिस्तान की सरकार कुछ लोग जो जासूसी करने के लिए यहां ग्राते हैं ग्रौर पकड़े जाते हैं ग्रौर उन में से कुछ पर मुकद्दमे भी चले हैं, कुछ को सजा भी मिली है, उनको किसी न किसी तरह से एक्सचेंज में छुड़ाने की कोशिश करते हैं ग्रौर इस तरह की जिद ग्रौर हठ का रवैया ग्रपनाये रहते हैं । क्या मंत्री जी इस बारे में कोई जानकारी दे सकेंगे ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव :** ये दोनों ग्रलग-ग्रलग चीजें हैं । ये 10 कैदी जो ग्रभी-ग्रभी रिहा होकर ग्राए हैं इनके बारे में कुछ ग्रजीब कहानी लगती है क्योंकि इनको 10 वर्ष के लिए कैद नहीं हुई थी, सजा नहीं हुई थी । इनको पहले छोटे-छोटे जुल्मों में पकड़ा गया था ग्रौर इनको तीन महीने, चार महीने या छ: महीने की सजा हुई थी । उसके बाद यह फिर ग्रागे चलती गई ग्रौर बढ़ती गई । उनकी रिहाई नहीं हुई । ग्राठ वर्ष के बाद ग्रचानक किसी दूसरे सूत्र से हमारे पास यह खबर ग्राई यहां दिल्ली में कि इस तरह से ये लोग पकड़े गये ग्रौर वहां पर कैदो की हालत में हैं । हमने फौरन इस चीज को पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ उठाया उसके बाद उन्होंने माना कि ये लोग हैं। उसके बाद इसमें बहुत ज्यादा देर नहीं लगी ग्रौर उनको रिहा कर दिया गया ।

जो एक्सचेंज की बात माननीय सदस्य ने पूछी है वह तो होता है । उसके लिए दोनों सरकार सोच-विचार करती हैं ग्रौर कभी-कभी एक्सचेंज हुए भी हैं । लेकिन उस मामले में भी कई बार ऐसा हुग्रा है कि हमारे कहने के बावजूद पाकिस्तान सरकार से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है ।

**डा० भाई महावीर :** श्रीमन्, मैंने यह पूछा था कि जब वे लगातार इंकार करते रहे तो ग्राठ-दस साल के ग्रर्से में भी जब ये लोग उनकी कैद में थे तो क्या इसको भी, इनके ग्रस्तित्व को भी वे इंकार करते रहे हैं ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव :** नहीं; हमने पूछा ही नहीं था ।

**श्री सभापति :** इनको मालूम ही नहीं था इसलिए पूछने की बात कहां ग्राती है ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव :** पूछने के बाद बहुत ज्यादा देर नहीं लगी ।

**श्री शांति त्यागी :** मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट सुधीर त्यागी के बारे में नेशनल प्रेस में ग्राया था कि वे जिन्दा हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से पेश्तर यह ऐलान हो गया था कि वे डैड हैं ? ग्राप शायद जानते हैं, उनकी वीरता की कहानी बहुत मशहूर है । इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका क्या हुग्रा ?

SHRI P| V| NARASIMHA RAO: This appears to be On some specific matter. I would not be able to answer it.

MR. CHAIRMAN; Mr. Reddy.

SHRI HARI SHANKAR BHABHRA: I have been raising my hands. Still I am not being called. This is a small, but important question.

MR. CHAIRMAN: That is what you think. Mr. Reddy had raised his hands. Yea, Mr. Reddy.

**श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी :** सभापति साहब, मंत्री महोदय ने अभी कुछ बातों पर प्रकाश डाला है और कुछ बातें बताई हैं । उसके अलावा हम लोगों को जो रिपोर्टस अखबारों के जरिए से और दूसरे जरियों से मालूम होती हैं वे यह हैं कि अभी भी पाकिस्तान की जेलों में कई ऐसे प्रीजनर्स हैं जिनका कोई पता नहीं है । न हिन्दुस्तान के जो हाई कमिश्नर हैं उनको पता है और न ही हिन्दुस्तान की सरकार को पता है। इसका न हिन्दुस्तान की सरकार को पता है फिर भी यह मालूमात अखबारों के जरिये से हमको मिल रही है कि वहां कई ऐसे लोग हैं जिनका नामोनिशान का किसी को पता नहीं है । इसलिये मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने कोई ऐसा प्रबन्ध किया है जिससे पाकिस्तान की जेलों में जितने कैदी हैं, जितने नजरबंद हैं, उनकी जांच की जा सके ? क्या आपने पाकिस्तान सरकार से कोई ऐसी बातचीत की है कि दोनों सरकार एक दूसरे की सहूलियत से, एक दूसरी की रजामन्दी से यहां जितने भी प्रिजनर्स पाकिस्तान के हैं उनकी जांच हो और जितने भी प्रिजनर्स हिन्दुस्तान में पाकिस्तान की जेलों में हैं उनकी जांच हो और यह खाली रिपोर्ट से नहीं बल्कि खुद जेलों में जाकर हर प्रिजनर्स से मिलकर उनकी मालूमात करने के बारे में कोई प्रबन्ध सरकार ने किया है या नहीं किया है, यह बात मैं सरकार से जानना चाहता हूं ?

**श्री पी० बी० नरसिंह राव :** श्रीमन् यही तो आज हमारे सामने प्रोटोकोल का जो प्रोपोजल है, उसमें यह सब आता है । जब तक प्रोटोकोल नहीं है, उन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम पर कोई जिम्मेदारी नहीं है । अभी अखबारों में जो भी सूचना दूसरी तरफ से आती है उस पर हम निर्भर रहते हैं । जब यह प्रोटोकोल होगा तो दोनों तरफ से विश्वसनीय सूचना हमको मिल पायेगी और उसके बाद हम दूसरा भी प्रबन्ध और कर सकेंगे, उनके वेलफेयर के लिये, उनके स्वास्थ्य के लिये क्या-क्या हो सकता है । क्या हो रहा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने की हम कोशिश करेंगे ।.. (**व्यवधान**)

**श्री सभापति :** अभी पता तो है नहीं कि हैं या नहीं हैं ।

**श्री हरी शंकर भाभड़ा :** सभापति महोदय, फरवरी में मंत्री स्तर पर जो बातचीत हुई थी पाकिस्तान और भारत के बीच में, उसका कोई कारगर नतीजा नहीं निकला । तो यह जो अधिकारी स्तर पर बात हो रही है, उसका कोई कारगर नतीजा निकलेगा इसकी सम्भावना नहीं है । इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि अब वे कब मंत्री स्तर पर बातचीत करने के लिये, पुनः पाकिस्तान के साथ इन सारे मसलों को तय करने के लिये कब वार्ता करने जा रहे हैं ?

**श्री पी० बी० नरसिंह राव :** जहां तक प्रोटोकोल का सम्बन्ध है श्रीमन्, मुझे पूरी आशा है कि पाकिस्तान की सरकार भी इसको स्वीकार करेगी, क्योंकि पहले उन्होंने इन-प्रिंसिपल इसको स्वीकार किया था । हमने एक मसौदा उनके पास भेजा है, उसकी छान-बीन करके हम उम्मीद करते हैं कि वे इसको स्वीकार करेंगे ।

DR. (SHRIMATI) RAJINDER KAUR: Sir, I want $t_0$ ask only one question. Sir, it is a very pertinent question.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Sir, this is a very important subject and I want to ask a question. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: I think we won't go past this question at this rate.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: But this is a very important subject, Sir, and I want $t_0$ ask a question.

MR. CHAIRMAN: All right. I will give you a chance now.

SHRI SYED SHAHABUDDIN; Sir, *1* would like to know from the honourable Minister what the status of the Vienna Convention is in this matter. I am asking this question because, as far as I know, both India and Pakistan are signatories to the Vienna Convention and, if that is so, I would like $t_0$ know why a special agreement is required between India and Pakistan to have the normal consular access which is the norm of civilized intercourse among the States.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: The whole difficulty is that the Vienna Convention...

MR. CHAIRMAN; Was it ratified?

SHRI P. V; NARASIMHA RAO: . is hot being observed.

SHRI SYED SHAHABUDDIN: This does not require a special agreement as far as I know. (Interruptions).

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: This has been our experience and that is why we $hav_e$ taken up this matter of going in for a protocol on this very question.

MR. CHAIRMAN; Have we ratified it, both of us?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Both are signatories.

SHRI SYED SHAHABUDDIN; Sir, I would Uke to know why a special agreement is required between the two countries. (Interruptions).

MR. CHAIRMAN: What about ratification?

SHRI SYED SHAHABUDDIN; I do not know about ratification. But it $doe_s$ not require a special agreement. (Interruptions).

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Normally, Sir, what Mr. Shahabuddin says is correct, both being the signatories .

SHRI SYED SHAHABUDDIN: Therefore, it does not require a special agreement.

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I did not say that it requires a special agreement. What I said was that according to our experience nothing has been done under the Vienna Conven-' tion as such and, therefore, we have now proposed *to* have a special protocol between our two countries. That $i_s$ what I said.

MR. CHAIRMAN; What I wan*- to know is this: Has it been ratified on both the sides?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO; I will have to find out about that.

MR. CHAIRMAN: Because being signatories means nothing. Yes, Mrs. Kaur.

DR. (SHRIMATI) RAJINDER KAUR; Sir, I have got only one question to ask. About a year back, I gave a list of seven persons in Pakistan's jails, in Lahore jail, and I $wrot_e$ a letter to the Minister also about a $yea_r$ ago stating that they have completed their punishment and still they are there for so many years. What is the way out for them? How is the priority to be observed and who are the prisoners who are to be given priority for release and who are the people who are to be forgotten?

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: Sir, I will ftnd out about the particular case and let the honourable Member know about it, about what the latest position is. In order to meet all thes© situations, which somehow add up to something unsatisfactory in the relations between the two countries, we have proposed this, and in principle there has been an acceptance from the other side. We hope that i* this protocol goes through, then all these questions will be solved to a large extent.

SHRIMATI RAJINDER KAUR; I wrote a letter. But he did not even acknowledge it. *(Interruptions)*

SHRI DHARAM CHANDER: I want to ask the hon. Minister whether there are prisoners in Pakistan who have completed their term of punishment for the last three years and they are still rotting in jails. If so, what steps are being taken in this regard?

MR. CHAIRMAN; Same thing. *3$* "PT ^*t* I Round and round the mulberry bush. *{Interruptions)*

SHRI P. V. NARASIMHA RAO: I would request the hon. Member to give me $th_e$ details if he hag them. I will then see what can be done in this regard. *(Interruptions)*

MR. CHAIRMAN: They do know about the existence of those people. If you have got their names, ages, parents' names, etc., please give them.

Next question.

**Uniformity in Maximum Safe Laden weight for the Transportera**

*465. SHRI VITHALBHAI MOTI-RAM PATEL: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there *is* no uniformity in maximum safe laden weight for the transporters allowed by the different State Governments;

(b) whether Gujarat Government have requested $th_e$ Central Government to bring uniformity in this regard; and

(c) if so, what decision the Central Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OE SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI SITARAM KES-RI): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) With a view to bring about uniformity in this regard, the Central Government has made a provision in -the M.V. (Amendment) Bill 1982 to enable them to take over the power to prescribe RLW & SAW on a uniform basis throughout the country. Action will be taken after the Bill is passed by the Parliament.

**श्री विट्ठल भाई मोतीराम पटेल :** भारत सरकार इसके बारे में कुछ स्टैंडर्ड फिक्स किया था और जो स्टैंडर्ड फिक्स किया है भारत सरकार ने उसका इम्पली-मेंटेशन नहीं हो रहा है । मेरा प्रश्न यह है कि आपके पास जो कानून है उसमें जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किये हैं हर स्टेट में उनको लागू करने के लिए ऐसी कुछ कोशिश आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं ?

**श्री सीताराम केसरी :** सभापति महोदय, मोटर गाड़ी संशोधन बिल इस सदन द्वारा पास हो चुका है । इस सिल-सिले में हमारे माननीय सदस्य ने जो कहा कि यूनीफार्म पालिसी अडाप्ट की जाए आर. एल. डब्ल्यू., एस. ए. डब्ल्यू. के संबंध में तो उस संबंध में जैसे ही राष्ट्रपति जी के यहां से अनुमति मिलती है शीघ्रातिशीघ्र वह लागू किया जाएगा ।